


**कार्यालय आदेश OFFICE ORDER No. 32 / 2019**

विषय: टिकट चेकिंग कैडर संवर्ग लेवल 5 की पदोन्नति/रोटेशन/अनुरोध पर स्थानांतरण ।  
 निम्नलिखित टिकट चेकिंग संवर्ग की पदोन्नति/अनुरोध पर स्थानांतर तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए जारी किए जाते हैं:-


क्र. सं.	नाम सर्व श्री /श्रीमती	वर्तमान पदनाम स्टेशन /लेवल	भविष्य में पदनाम स्टेशन/लेवल	टिप्पणी
01	आनंद सागर सिंह अ.पि.व/00529801350	टिकटपरिक्षक/लातुर लेवल 3 (जीपी-2000)	सिनि.टिकटपरिक्षक/लातुर लेवल 5 (जीपी-2800)	पदोन्नति पर
02	दीपक सरोहा अना/00529801352	टिकटपरिक्षक/सोलापुर लेवल 3 (जीपी-2000)	सिनि.टिकटपरिक्षक/लातुर लेवल 5 (जीपी-2800)	पदोन्नति पर
03	शशि रंजन पटेल अ.पि.व/00529801353	टिकटपरिक्षक/लातुर लेवल 3 (जीपी-2000)	सिनि.टिकटपरिक्षक/लातुर लेवल 5 (जीपी-2800)	पदोन्नति पर
04	वरुन कुमार अ.पि.व/00529801349	टिकटपरिक्षक/वाडी लेवल 3 (जीपी-2000)	सिनि.टिकटपरिक्षक/वाडी लेवल 5 (जीपी-2800)	पदोन्नति पर
05	निरज कुमार अजा/00529801025	सिनि.टिकटपरिक्षक/सोलापुर लेवल 5 (जीपी-2800)	सिनि.टिकटपरिक्षक/अहमदनगर लेवल 5 (जीपी-2800)	अनुरोध पर
06	धनंजय कुमार अना/00529801000	सिनि.टिकटपरिक्षक/सोलापुर लेवल 5 (जीपी-2800)	सिनि.टिकटपरिक्षक/कोपरगाव लेवल 5 (जीपी-2800)	अनुरोध पर

क्र.सं.02 स्थानांतरण लेखे पर मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए पात्र है । वेतन का निर्धारण वर्तमान नियमों के शर्तों के आधार पर किया जाएगा। दि.31.07.2017 के आरबीई नं.79/2017 पीसी- VII नं.25 फाइल पीसी- VII /2016/ 1/6/2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए एक माह की अवधि के भीतर कर्मचारी अपना विकल्प देने के लिए पात्र है।

दिनांक 01.10.2016 को या उसके बाद सामान्य वरियता/योग्यता के आधार पर अनारक्षित ब्लॉक के नामिका में एससी/एसटी निष्कर्ष स्थान को अपेक्स कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय जारी होने तक भविष्य में अनंतिम के लिए केवल एससी/एसटी के रूप में गणना की जाएगी।

उक्त पदोन्नतियां इन शर्तों पर लागू की जाती हैं कि उपर्युक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई डीएआर/एसपीई/वीआईजी का मामला लंबित नहीं है या विचाराधीन नहीं है या प्रस्तावित नहीं है। सभी पदोन्नतियां मुख्य एसएलपी के परिणाम और रेलवे बोर्ड के दिनांक 30.09.2016 (आरबीई नं. 117/2016) के पत्र सं: 2016-ई(एससीटी)1125/8 में उल्लिखित दायर याचिका के शर्त पर और मुख्यालय के दिनांक. 04.10.2016 के पत्र सं: पी/एचक्यू/रुलिंग/ओ/817 के अनुदेशों तथा दिनांक: 15.03.2017 के पत्र सं: पी/सीआर/एचक्यू/आर/601-पॉलोसी के सपष्टीकरण के अनुसार होगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

  
(प्रेम कुमार शर्मा)

कृते मंडल कार्मिक अधिकारी(समन्वय)  
सोलापुर

प्रतिलिपि/- वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वरि.मंडल वित्त प्रबंधक/ सोलापुर को जानकारी के लिए ।

प्रतिलिपि/-स्टेशन प्रबंधक/वाडी,लातुर,कोपरगाव,अहमदनगर को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए